न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।

<u>हकीयत वाद सं0–54 / 2022</u>
Reg. No. 59/22

रामबाबु महतो एवं अन्य...वादीगण।

बनाम

लक्ष्मी महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण।

05.05.2025 वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की हाजरी है।

वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूमि पर स्वत्व और अधिकार की उद्घोषणा तथा दखल कब्जा की सम्पुष्टि हेतु दाखिल किया है तथा दिनांक 07.08.2019 को निष्पादित केवाला जो प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया है उसे अवैध और शून्य घोषित करने हेतु दायर किया है।

वादपत्र का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने यह वादपत्र दिनांक 12.10.2022 को दायर किया तथा दिनांक 12.12.2022 को वाद का प्रतिग्रहण किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु नजारत एवं डाक द्वारा सम्मन निर्गत किया गया। इसी बीच प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीर दिनांक 22.08.2023 को दाखिल किया गया। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल वादपत्र एवं लिखित कथन को आधार पर दिनांक 30.06.24 को वाद बिन्दु का गठन किया गया। वादी प्रस्तुत वाद में विगत एक वर्षों से न तो उपस्थित हो रहे हैं और न ही साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः वादी का वादपत्र **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
05.05.2025